(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त निगम को उपयुक्त निदेश जारी करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) से (ग) जी, नहीं। कारपोरेशन द्वारा डबल बाटलिंग कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को जारी किए गए सब्सक्रिप्शन वाउचरों के रूप में रिकार्ड रखे जाते हैं। एल पी जी वितरकों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे उन उपभोक्ताओं के उपभोक्ता विवरण कार्ड रखें जिन्हें अतिरिक्त सिलिंडर दिये गये हैं।

राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशि

1952. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस समय कितने-कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर राज्य बिजली बोर्डों पर विभिन्न संस्थाओं की भारी राशि बकाया है तथा वे घाटे में चल रहे हैं;

(ग) किन-किन राज्य बिजली बोर्डों ने गत तीन वर्षों के दौरान बिजली की दरें बढ़ायी हैं और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(घ) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, और

(ङ) किन-किन राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे है, उनमें घाटा होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड से उत्पादित बिजली का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड को छोड़कर शेष सभी राज्य बिजली बोर्डों ने 1985-88 के दौरान अपनी बिजली की दरें बढ़ाई हैं। चूंकि, बढ़ोतरी की मात्रा भिन्न-भिन्न श्रेणियों और भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है और यह खपत के स्तर पर भी निर्भर करती है इसलिए बढ़ौतरी का परिमाण नहीं बताया जा सकता।

(घ) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा (संलग्न विवरण-II) में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ङ) 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राज्य बिजली बोर्डों को घाटा हुआ है:—

बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय (दस राज्य)।

राज्य बिजली बोर्डों के घाटे में चलने के अनेकानेक कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:— कृषि क्षेत्र के एवं दूसरे प्रकार के उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली प्रदान करना, राज्य बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति, देयताओं की समय पर वसूली न होना, विवादास्पद बिजली के बिलों पर मुकदमेबाजी होना, आपूर्ति की गई एवं प्राप्त हुई ऊर्जा तथा ऊर्जा विक्रय की दरों पर सहमति का अभाव, कम उत्पादन, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां आदि। राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण-III में किया गया है।

विवरण - I

ऊर्जा उत्पादन

(अप्रैल, 1988 से फरवरी 1989 के दौरान (मि यू०)

क्रम सं०	राज्य	
1.	जम्मू तथा कश्मीर	1981
2.	हिमाचल प्रदेश	1291
3.	हरियाणा	2140
4.	राजस्थान	3646
5.	पंजाब	5990
6.	उत्तर प्रदेश	28456
7.	गुजरात	16083
8.	महाराष्ट्र	31089
9.	मध्य प्रदेश	19305
10.	आन्ध्र प्रदेश	17713
11.	कर्नाटक	8220
12.	केरल	4127
13.	तमिलनाडु	19158
14.	बिहार	4124
15.	उड़ीसा	3860
16.	पश्चिमी बंगाल	9161
17.	असम	993
18.	मेघालय	815

विवरण - II

रोजगार ('000 की संख्या में)

क्रम सं०	अभिकरण	1986-87 के अंत की स्थिति के अनुसार
	राज्य बिजली बोर्ड	
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.2
2.	असम	20.1
3.	बिहार	42.2
4.	गुजरात	38.7
5.	हरियाणा	37.5
6.	हिमाचल प्रदेश	11.1
7.	जम्मू तथा कश्मीर	13.8
8.	कर्नाटक	47.1
9.	केरल	23.3
10.	मध्य प्रदेश	76.7
11.	महाराष्ट्र	95.5
12.	मेघालय	4.0
13.	उड़ीसा	33.8
14.	पंजाब	61.6
15.	राजस्थान	58.5
16.	तमिलनाडु	90.6
17.	उत्तर प्रदेश	97.8
18.	पश्चिमी बंगाल	43.0
	जोड़	853.3

(राज्य बिजली बोर्डों और बिजली विभागों के कार्यकरण पर योजना आयोग के वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित)

विवरण - III

(1) राज्य बिजली बोर्डों को निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण किए जाने के बारे में निर्देश दिए गए है जैसी कि विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखे नियम, 1985 में व्यवस्था की गई है।

(2) राज्य सरकारों को राज्य बिजली बोर्डों को इक्वटी सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, ताकि उनकी वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता नियमित रूप से तथा पर्याप्त मात्रा में जारी की जाए।

(4) ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम आरंभ की गई है।

(5) विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है और अपराध करने वाले तथा इसमें सहायता करने वाले व्यक्ति के लिए

कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।

(6) पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी करने के लिए एक प्रोत्साहन सकीम लागू करना।

(7) विद्युत केन्द्रों में कार्यरत इंजीनियरों और प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षित करना ।

Closing of un-economic mines of Coal India Limited

1953. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CIL is considering to close down 33 mines which are being declared un-economic if so, what has been their production during the last three years; and

(b) what are the criteria fixed for declaring a mine un-economic and what will be the fate of employees and officers; if a final decision is taken to close these mines?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) Chari Committee on ECL had observed that 22 mines, contributing very little production, were responsible for heavy losses and some of them deserved to be closed. After examination, Government decided that out of 22 mines, 12 mines could be closed and persons employed in them could be utilised fruitfully by redeploying them in other mines or making them to retire through an attractive package of voluntary retirement. At annexure-I is given the list of mines mentioned in the report of Shri Chari. [*See* Appendix CXLIX, Annexure No. 109].

Banerjee Committee on BCCL recommended that heavy losing mines, with low production or awaiting reconstruction / investment, should be considered for temporary closure and men diverted to productive and enabling works. The Government decided that closure and redeployment can be considered on merit of each case

(b) Mines having very low productivity and incurring heavy losses are considered as uneconomic mines. So far five mines each have been closed in ECL and BCCL. In both the cases, persons rendered surplus due to closer of mines have been redeployed in other mines and jobs.

Financial Outlay for Coal

1954. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission have approved an outlay of Rs. 1800 crore for the next financial year for the different Projects of coal;

(b) if so, what are the details in this regard and to what extent coal production is to be increased; and

(c) whether CIL has any system to monitor the progress, financial outlay and the enhanced production of the company; If so, what are the details of monitoring and progress made for the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) and (b) For 1989-90, the Planning Commission have approved an outlay of Rs. 1800 crores for Coal India Limited (CIL) and its subsidiaries; of this, Rs. 1040 crores would be provided by the Government as budgetary support. Production of Coal by CIL for the year 1989-90 is targetted at 183.50 million tonnes against the target and expected production of 170.08 million tonnes during the current year (1988-89).

(c) Detailed monitoring is done by CIL on monthly basis, covering various aspects like production, productivity, machine utilisation, despatches, financial